Dr. HUSNA ARA
Asst. Professor
Dr. L.K.V.D. College Tajpur
Samastipur

सविनय अवज्ञा आंदोलन गाँधीजी की गिरफ्तारी के पश्चात् पुनः प्रारंभ हो गया। सरकार ने इस आंदोलन पर पूर्णरूपेण हमला प्रारंभ कर दिया। सभी स्तरों पर कांग्रेस के संगठनों को प्रतिबंधित कर दिया गया। राजनीतिक कार्यकर्ता को जेल में ठूस दिया गया। अंग्रेजी सरकार के इस दमन का शिकार महिलाएं भी हुई। सरकारी दमन के खिलाफ जनता में तीव्र रोष था। विरोध प्रदर्शन के तरीकों में शराब की दुकानों पर धरने, विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरने, अहिंसक प्रदर्शन, राष्ट्रीय झंडे का प्रतीकात्मक रोहण, चौकीदारी कर का भुगतान न करना, नमक सत्याग्रह आदि प्रमुख थे। किंतु इतना होने पर भी आंदोलन ज्यादा लंबे समय तक नहीं खिंच सका। अंततः अप्रैल 1934 में गाँधीजी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया।

साम्प्रदायिक निर्णय और पूना समझौता

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैम्जे मैकडोनाल्ड ने भारतीय मताधिकार समिति के अध्ययन के

आधार पर 16 अगस्त, 1932 को साम्प्रदायिक निर्णय (कम्यूनल अवार्ड) की घोषणा की। साम्प्रदायिक निर्णय में दलित वर्गों, जिन्हें 78 सीटें दी गई, सहित अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र एवं सीटें आरक्षित की गई। अम्बेडकर ने इस बात पर बल दिया कि दलित या वंचित वर्गों को एक अलग वर्ग के रूप में देखा जाना चाहिए। इसे हिंदू जाति से पृथक एक स्वतंत्र अल्पसंख्यक बनाया जाना चाहिए। उन्होंने इनके अधिकारों की पूर्ति हेतु सीधी कार्रवाई की वकालत की।

गांधीजी ने दलित वर्गों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार देने के प्रस्ताव पर बेहद तीखी प्रतिक्रिया की। गांधीजी ने साम्प्रदायिक निर्णय को राष्ट्रीय एकता एवं भारतीय राष्ट्रवाद पर प्रहार के रूप में देखा। वह दलित वर्गों को हिन्दू समाज का अविच्छिन्न अंग मानते थे। गांधीजी ने मांग की कि दलित वर्ग के प्रतिनिधियों का निर्वाचन आम-निर्वाचन मंडल के माध्यम से वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। तथापि उन्होंने दलित वर्ग के लिए बड़ी संख्या में सीटें आरक्षित करने की मांग का विरोध नहीं किया। अपनी मांगों को स्वीकार किए जाने के लिए 20 सितंबर 1932 से गांधीजी आमरण अनशन पर बैठ गए।

Dr. Khusna Ara
Asst. Professor.